<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

दीव समाहर्ता ने सरकारी कार्यक्रमों में प्लास्टिक बोतलों पर रोक लगाने के लिए जारी किया परिपत्र

दीव 11 सितंबर, 2019: ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के मद्देनजर दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने एक परिपत्र जारी कर सरकारी कार्यक्रमों में प्लास्टिक के बोतलों के उपयोग पर पूर्णत: रोक लगाने हेतु सभी कार्यालयाध्यक्षों को दिशा-निर्देश जारी किया है।

परिपत्र के अनुसार माननीया समाहर्ता ने सरकारी बैठकों, सभाओं और कार्यशालाओं आदि में प्लास्टिक के बोतलों को पूर्णरूप से प्रतिबंधित करने के हिदायत दी है। उन्होंने इसके विकल्पों के प्रयोग के लिए कहा है ताकि स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके और इससे पर्यावरण प्रदूषण से निजात मिल सके।

ध्यातव्य हो कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस वर्ष 15 अगस्त के भाषण में भारत को प्लास्टिक कचड़ों के अभिशाप से मुक्त करने का संकल्प लिया है। इस क्रम में उन्होंने उन प्लास्टिक उत्पादों और थैलियों के प्रयोग न करने की सलाह दी है, जो मृदा-प्रदूषण, जल-प्रदूषण एवं अन्य किसी भी प्रकार के प्रदूषण के कारण हैं। इसके तहत सम्पूर्ण भारत में प्लास्टिक उन्मूलन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय प्रशासक प्रफुल पटेल के मार्गदर्शन में दीव स्थित सभी कार्यालय प्रमुखों से प्लास्टिक उत्पादों के प्रयोग को रोकने की सलाह दी है और दीववासियों से इस मुहिम को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की है।